तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ...
26/9/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 3/10/25 को पेश हो (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
3/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 16/10/2025 को पेश हो (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
16/10/2025	... कार्य ... में ... पेशी दी गई ... दिनांक 12/11/2025 ... को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
12/11/2025	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 28/11/2025 को पेश हो (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
28/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 10/84 दि० 21/11/25 के द्वारा रिपोर्ट पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 28/11/25	

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मु0न0 86 / 2025
निर्णय दिनांक 28.11.2025

उनवान

1. डाली पत्नि छोटेलाल जाति माली जाति माली निवासी धांधोलाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थीया............।

बनाम

राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थी.............।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती

:::–निर्णय–:::

दिनांक 28.11.2025

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती का पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– खाता संख्या नया 142 पुराना 73 खसरा नम्बर 154 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर उपरोक्त समस्त भूमि वाके रामा धंधोलाई पटवार हल्का बडियाल कला तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/32 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलगन है। भूमि मुतदाविया वर्णित प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में प्रार्थीया नाम डाली पत्नि छुट्टन जाति माली राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो रहा है जो प्रार्थीया के पति का नाम सहवन से छुट्टन गलत दर्ज हो रहा है प्रार्थीया के पति का नाम छुट्टन घर का बोलता नाम है जबकि प्रार्थीया के पति का सही नाम छोटेलाल सैनी है प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, ई श्रमकार्ड, राशनकार्ड, आदि में प्रार्थीया के पति का नाम छोटेलाल सैनी दर्ज है जो सही है। छुट्टन व छोटेलाल सैनी एक ही व्यक्ति है तथा प्रार्थीया के पिता का छोटेलाल सैनी ही सही नाम है लेकिन सहवन से भूमि मुतदाविया वर्णित प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में प्रार्थीया के पति का नाम छुटटन प्रार्थीया के पिता का घर का बोलता नाम दर्ज हो रहा है जो गलत इन्द्राज हो रहा है। उक्त गलत इन्द्राज के कारण भविष्य में प्रार्थीया व प्रार्थीया के वारिसान को भूमि मुतदाविया का नामान्तकरण खुलवाने या किसी भी प्रकार की निजी या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कानूनी अड़चन पैदा होगी इसलिये उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया न्यायालय से इस अमर की दुरुस्ती करवाने की विधिक अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया में प्रार्थीया के पति के गलत नाम छुट्टन को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया के पति के सही नाम छोटेलाल सैनी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण में तलबी प्रार्थी की गई। तहसीलदार बांदीकुई से प्रकरण में रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक भू.अ. 10184 दिनांक 21.11.2025 के द्वारा निम्न प्रकार पेश की गईः– ग्राम धांधोलाई की जमाबन्दी के खाता संख्या 142 के ख.न. 154

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.25 है. में प्रार्थीया डाली पत्नी छुट्टन जाति माली हिस्सा 1/32 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड जनाधार कार्ड, श्रमिक कार्ड राशन कार्ड आदि में प्रार्थीया के पति का नाम छोटेलाल दर्ज रिकार्ड है। ग्राम वासियो से प्रार्थी के पति के नाम के बारे मे जानकारी चाही गई तो ग्राम वासियो ने बताया कि छुट्टन व छोटेलाल एक ही व्यक्ति है। ग्राम धाधोलाई की जमाबन्दी के खाता संख्या 142 में प्रार्थीया के पति का नाम छट्टन के बजाय छोटेलाल करने हेतु रिपोर्ट पेश है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा ग्राम धाधोलाई की जमाबन्दी के खाता संख्या 142 में प्रार्थीया के पति का नाम छट्टन के बजाय छोटेलाल करने की अभिषंश की गई है। तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 136 नाम दुरूस्ती का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम धाधोलाई की जमाबन्दी के खाता संख्या 142 पुराना 73 के खसरा नम्बर 154 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 01 में प्रार्थीया के पति का दर्ज नाम डाली पत्नी छट्टन के बजाय डाली पत्नी छोटेलाल किया जाता है। शेष इन्द्राज जमाबन्दी यथावत रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार अमलदरामद करे। तहरीर जारी हो प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner